अनुस्मारक-VI

दिल्ली विश्वविद्यालय UNIVERSITY OF DELHI

(राजभाषा प्रकोष्ठ RAJBHASHA CELL)

कमरा संख्या : 308, तृतीय तल,नया प्रशासनिक खंड, दिल्ली विश्वविद्यालय,दिल्ली-110007(दूरभाष:011-27666269, एक्स नं.: 1807)
Room No.:308, 3rd Floor, New Administrative Block, University of Delhi, Delhi-110007 (Phone:011-27666269, Ext. No.: 1807)

फाइल संख्या: आरबीसी/044/सं.आ.(09)/2014/12630-12876 दिनांक: 07/05/2014

विषय: संसदीय राजभाषा समिति को प्रस्तुत की जाने वाली निरीक्षण प्रश्नावली में भरे जाने वाले हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान एवं हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों के आंकड़े (नाम एवं पदनाम सहित) मंगवाने के संबंध में।

संदर्भ: (i) इस अनुभाग का दिनांक 25/03/2013 का पत्र सं. आरबीसी/09/2013/4353-4585 (अनुस्मारक-I)
(ii) इस अनुभाग का दिनांक 09/05/2013 का पत्र सं. आरबीसी/09/2013/5082-5331 (अनुस्मारक-II)
(iii) इस अनुभाग का दिनांक 04/09/2013 का पत्र सं. आरबीसी/044/सं.आ.(09)/2013/6442-6691 (अनुस्मारक-III)
(iv) इस अनुभाग का दिनांक 11/11/2013 का पत्र सं. आरबीसी/044/सं.आ.(09)/2013/7867-8113 (अनुस्मारक-IV)
(v) इस अनुभाग का दिनांक 06/01/2014 का पत्र सं. आरबीसी/044/सं.आ.(09)/2014/9150-9396 (अनुस्मारक-V)

कृपया उपर्युक्त संदर्भित पत्रों का संदर्भ लें, जिसके द्वारा संसदीय राजभाषा समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली निरीक्षण प्रश्नावली में विश्वविद्यालय के स्थायी अधिकारियों/कर्मचारियों (ग्रुप 'डी' को छोड़कर) के हिंदी का कायर्साधक ज्ञान एवं हिंदी में प्रवीणता संबंधी आंकड़े (नाम, पदनाम एवं विभाग सहित) भरकर दिनांक **05/04/2013 तक** राजभाषा प्रकोष्ठ में भेजने का अनुरोध किया गया था। लेकिन अधिकतर स्थायी कर्मचारियों के कार्यसाधक ज्ञान एवं हिंदी में प्रवीणता संबंधी आंकड़े अभी तक राजभाषा प्रकोष्ठ को प्राप्त नहीं हुए हैं।

अत: आपसे पुन: विनम्र अनुरोध है कि कृपया अपने विभाग, अनुभाग एवं कार्यालय में कार्यरत स्थायी अधिकारियों/कर्मचारियों (ग्रुप 'डी' को छोड़कर) के हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान एवं हिंदी में प्रवीणता संबंधी आंकड़ों (नाम एवं पदनाम सहित) की सूची निर्धारित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र अर्थात् दिनांक **16/06/2014** तक प्रेषित करने का कष्ट करें। **कृपया इसे अति आवश्यक समझा जाए।**

हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान एवं हिंदी में प्रवीणता की परिभाषा निम्नलिखित है:

हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान Working Knowledge of Hindi:- यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी ने (1) हिंदी विषय के साथ मैट्रिक की या उसके समतुल्य या उससे उच्च स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है : या (2)केंद्र सरकार की हिंदी शिक्षण योजना की प्राज्ञ अथवा अन्य निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है: या (3) वह निर्धारित प्रपत्र में इस आशय की घोषणा करता/करती है, तो यह समझा जाएगा कि उसे हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है An employee shall be deemed to have acquired a working knowledge of Hindi- (a) If he/she has passed (i) The Matriculation or an equivalent or higher examination with Hindi as one of the subject, **or** (ii) the Pragya examination or any other specified examination conducted under the Hindi Teaching Scheme of the Central Government, **or** (iii) if he/she declares himself to have acquired such knowledge in the form annexed to these rules.

(राजभाषा नियम, 1976 का नियम-10)

हिंदी में प्रवीणता Proficiency in Hindi::- यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी ने (1) हिंदी माध्यम से मैट्रिक की या उसके समतुल्य या उससे उच्च स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है : या (2) हिंदी विषय के साथ स्नातक स्तर की या उससे उच्च स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है : या (3) वह निर्धारित प्रपत्र में इस आशय की घोषणा करता/करती है, तो यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है An employee shall be deemed to possess proficiency in Hindi if-(i) he/she has passed the Matriculation or any equivalent or higher examination with Hindi as the medium of examination, **or** (ii) he/she has taken Hindi as an elective subject in the degree examination or any other examination equivalent to or higher than the degree examination, **or** (iii) he/she declares himself to possess proficiency in Hindi in the form annexed to these rules.

(राजभाषा नियम, 1976 का नियम-9)

नोट: जिन विभागों/अनुभागों/कार्यालयों ने निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित आंकड़े भेज दिए हैं, उन्हें दुबारा भेजने की आवश्यकता नहीं है।

संलग्नक: यथोपरि

आनंद कु. सोनी
07/05/2014
(आनंद कुमार सोनी)
सहायक कुलसचिव (राजभाषा)

प्रति:

सभी विभागाध्यक्ष, केंद्र निदेशक, कार्यालय एवं अनुभाग प्रमुख